

फ़ा0स0 8/8/26/क़य/2013
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग
कार्यालय महाप्रबन्धक
शासकीय अफीम एवं क्षारोढ़ कारख़ाना,
गाजीपुर (उ0प्र0)

दिनांक: 01.03.2019

निविदा सूचना

सिटी रेलवे स्टेशन (मालगोढ़ाम) गाजीपुर पर राजस्थान यूनिट के अफीम तौल केन्द्रो से आये अफीम से भरे 20 कि0ग्रा0 एवं 35 कि0ग्रा0 के प्लास्टिक कन्टेनरो को ट्रक पर लोड होने के उपरान्त ट्रक से परिवहन कर सुरक्षित शासकीय अफीम एवं क्षारोढ़ कारख़ाना, गाजीपुर परिसर के मालख़ाना अनुभाग तक पहुचाने का प्रति कन्टेनर/प्रति ट्रक भाडा उपलब्ध कराने बाबत् -

महाप्रबन्धक, शासकीय अफीम एवं क्षारोढ़ कारख़ाना गाजीपुर द्वारा सिटी रेलवे स्टेशन (मालगोढ़ाम) गाजीपुर पर राजस्थान इकाई के अफीम तौल केन्द्रो से आये अफीम सं भरे 20 कि0ग्रा0 एवं 35 कि0ग्रा0 के प्लास्टिक कन्टेनरो को ट्रक पर लोड होने के उपरान्त ट्रक से परिवहन कर सुरक्षित शासकीय अफीम एवं क्षारोढ़ कारख़ाना, गाजीपुर परिसर के मालख़ाना अनुभाग तक पहुचाने का प्रति कन्टेनर/प्रति ट्रक भाडा उपलब्ध कराने हेतु बन्द लिफाफे में निर्धारित प्रोफार्मा में कोटेशन आमंत्रित किया जाता है। कोटेशन दिनांक 25.03.2019 को समय 4.00 बजे तक स्वीकार किया जायेगा। उपरोक्त तिथि एवं समय के बाद प्राप्त कोटेशन स्वीकार नहीं किए जायेगे। कोटेशन दिनांक 25.03.2019 को समय 4.30 बजे खोला जायेगा।

क़म स0	ट्रक उपलब्ध कराने बाबत विवरण	मात्रा/संख्या
1.	सिटी रेलवे स्टेशन (मालगोढ़ाम) गाजीपुर पर राजस्थान इकाई के अफीम तौल केन्द्रो से आये अफीम सं भरे 20 कि0ग्रा0 एवं 35 कि0ग्रा0 के प्लास्टिक कन्टेनरो को ट्रक पर लोड होने के उपरान्त ट्रक से परिवहन कर सुरक्षित शासकीय अफीम एवं क्षारोढ़ कारख़ाना, गाजीपुर परिसर के मालख़ाना अनुभाग तक पहुचाने का प्रति कन्टेनर भाडा उपलब्ध कराने हेतु	मांग के अनुसार
2.	सिटी रेलवे स्टेशन (मालगोढ़ाम) गाजीपुर पर राजस्थान इकाई के अफीम तौल केन्द्रो से आये अफीम सं भरे 20 कि0ग्रा0 एवं 35 कि0ग्रा0 के प्लास्टिक कन्टेनरो को ट्रक पर लोड होने के उपरान्त ट्रक से परिवहन कर सुरक्षित शासकीय अफीम एवं क्षारोढ़ कारख़ाना, गाजीपुर परिसर के मालख़ाना अनुभाग तक पहुचाने का प्रति ट्रक भाडा उपलब्ध कराने हेतु। ट्रक 10 से 12 पहिया की होनी चाहिये। जिसमें कम से कम 200 से 250 अढ़द कन्टेनर लोड किये जा सकने की क्षमता वाला हो।	मांग के अनुसार

कोटेशन की शर्तें-

1. आदेश प्राप्त होने के तुरन्त बाद नियत समय एवं तिथि पर पर्याप्त मात्रा में ट्रक को सिटी रेलवे स्टेशन (मालगोदाम) गाजीपुर में स्वयं उपलब्ध कराना होगा।
2. दर की वैधता आदेश देने की तिथि से एक वर्ष तक मान्य होगा।
3. ट्रक से परिवहन करते समय किसी भी प्रकार की दुर्घटना अथवा अप्फीम से भरी पेटियों में टूट फूट होने पर तथा अप्फीम बर्बाद होने पर पूरी जिम्मेदारी फर्म की होगी।
4. रास्ते में वाहन में किसी प्रकार की खराबी, तेल आदि देयक का दर दाता द्वारा स्वयं भुगतान करना होगा।
5. सफल दर दाता को स्वयं सुनिश्चित करना होगा कि उपलब्ध कराये गये ट्रकों अच्छी हालत में होनी चाहिए तथा ट्रकों एवं ट्रक चालकों के सभी आवश्यक कागजात बैद्य होने चाहिए ताकि रास्ते में परिवहन के दौरान किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। पूरे कागजात बैद्य न होने पर ट्रक/चालक को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
7. उक्त कार्य हेतु ट्रक उपलब्ध कराने के लिए अपने दर के साथ टेण्डर फीस रु0 100/- (उक्त को फौव्द्री कोषागार में नगद जमा कर प्राप्त किया जा सकता है) तथा अग्रिम जमानत राशि के रूप में रु0 5000/- जमा करना होगा। जो प्रबन्धक, शासकीय अप्फीम एवं क्षारोद कारखाना गाजीपुर के पक्ष में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी किया हुआ एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0/डी0डी0/बैंक गारण्टी आदि के साथ ही संलग्न कर दर देना अनिवार्य होगा। जमानत राशि दर के साथ संलग्न नहीं होने पर दर स्वीकार नहीं किया जाएगा। नगद अग्रिम धरोहर राशि स्वीकार नहीं की जाएगी।
8. मौसम को ध्यान में रखते हुए फर्म की पूरी जिम्मेदारी होगी की ट्रक में रखी अप्फीम कन्टेनरों को कोई नुकसान न हो।
9. परिवहन कार्य के लिए सफल दर दाता को कार्य आदेश की कुल राशि का 10 प्रतिशत प्रतिभूति रकम के रूप में एफ डी आर/सी डी आर/ राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी किया हुआ आदेश मिलने के बाद तुरन्त जमा करना होगा।
11. ट्रक लगभग 200 से 250 अदद कन्टेनर को लोड किये जा सकने की क्षमता वाला होना चाहिये।
12. प्रत्येक ट्रक पर दो सतह से ज्यादा कन्टेनर लोड नहीं किया जायेगा। ट्रक 10 पहिया या 12 पहिया वाला ही होना चाहिये। इससे कम क्षमता वाला ट्रक मान्य नहीं होगा।
13. अप्फीम से लदा ट्रक सिटी रेलवे स्टेशन (मालगोदाम) गाजीपुर से ट्रक इस प्रतिष्ठान के एस्कार्ट पार्टी के साथ ले आना होगा। परिवहन का कार्य एस्कार्ट पार्टी प्रभारी के निर्देशानुसार पूर्ण करना होगा।
14. ट्रक भाडा प्रति ट्रक एवं प्रति कन्टेनर अलग-अलग देवें।
15. फर्म के द्वारा प्रस्तुत दर के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के देय टोल टैक्स, पार्किंग चार्ज, रोड टैक्स इत्यादि का भुगतान फर्म को ही करना होगा। प्रतिष्ठान द्वारा मात्र निविदा में दर्शित दर का ही भुगतान किया जाएगा।
16. दर में किसी भी प्रकार की कटिंग एवं ओवर राइडिंग मान्य नहीं होगा। इस तरह का कोटेशन दर प्राप्त होने पर उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।
17. अपरिहार्य स्थिति को छोड़ कर जिस ट्रक में कन्टेनरों लोड किया जायेगा उसी ट्रक द्वारा उक्त कन्टेनरों को गन्तव्य तक ले जाना होगा।
18. यात्रा के समय रास्ते में किसी भी प्रकार की दुर्घटना इत्यादि के सभी मामलो का निस्तारण फर्म को ही करना होगा। जिसमे किसी भी प्रकार के मामले में प्रतिष्ठान की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी।
19. किसी भी प्रकार के विवाद में महाप्रबन्धक का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

प्रशासनिक अधिकारी

कोटेशन प्रोफार्मा

सेवा में,

महाप्रबन्धक

शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना

गाजीपुर

महोदय,

सिटी रेलवे स्टेशन (मालगोदाम) गाजीपुर पर राजस्थान इकाई के अफीम तौल केन्द्रों से आये अफीम सं भरे 20 कि०ग्रा० एवं 35 कि०ग्रा० के प्लास्टिक कन्टेनरों को ट्रक पर लोड होने के उपरान्त ट्रक से परिवहन कर सुरक्षित शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, गाजीपुर परिसर के मालखाना अनुभाग तक पहुंचाने का प्रति कन्टेनर/प्रति ट्रक भाडा उपलब्ध कराने हेतु आपके कार्यालय द्वारा जारी निविदा पत्र सं **8/8/18/PS/ 2012** दिनांक के सन्दर्भ में हमारा दर निम्नवत है।

क्रम सं०	कार्य का विवरण (पूर्ण विवरण सहित)	मात्रा	दर प्रति यूनिट (रु०में)	कर की दर व धनराशि	कुल लागत
1.	सिटी रेलवे स्टेशन (मालगोदाम) गाजीपुर पर राजस्थान इकाई के अफीम तौल केन्द्रों से आये अफीम सं भरे 20 कि०ग्रा० एवं 35 कि०ग्रा० के प्लास्टिक कन्टेनरों को ट्रक पर लोड होने के उपरान्त ट्रक से परिवहन कर सुरक्षित शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, गाजीपुर परिसर के मालखाना अनुभाग तक पहुंचाने का प्रति कन्टेनर भाडा उपलब्ध कराने हेतु	मांग के अनुसार			
2.	सिटी रेलवे स्टेशन (मालगोदाम) गाजीपुर पर राजस्थान इकाई के अफीम तौल केन्द्रों से आये अफीम सं भरे 20 कि०ग्रा० एवं 35 कि०ग्रा० के प्लास्टिक कन्टेनरों को ट्रक पर लोड होने के उपरान्त ट्रक से परिवहन कर सुरक्षित शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, गाजीपुर परिसर के मालखाना अनुभाग तक पहुंचाने का प्रति ट्रक भाडा उपलब्ध कराने हेतु। ट्रक 10 से 12 पहिया की होनी चाहिये। जिसमें कम से कम 200 से 250 अदद कन्टेनर लोड किये जा सकने की क्षमता वाला हो।	मांग के अनुसार			

निम्न नियम एवं शर्तें :-

1. आदेश प्राप्त होने के तुरन्त बाद नियत समय एवं तिथि पर पर्याप्त मात्रा में ट्रक को सिटी रेलवे स्टेशन (मालगोदाम) गाजीपुर में स्वयं उपलब्ध कराना होगा।
2. दर की वैधता आदेश देने की तिथि से एक वर्ष तक मान्य होगा।
3. ट्रक से परिवहन करते समय किसी भी प्रकार की दुर्घटना अथवा अफ्रीम से भरी पेटियों में टूट फूट होने पर तथा अफ्रीम बर्बाद होने पर पूरी जिम्मेदारी फर्म की होगी।
4. रास्ते में वाहन में किसी प्रकार की खराबी, तेल आदि देयक का दर दाता द्वारा स्वयं भुगतान करना होगा।
5. सफल दर दाता को स्वयं सुनिश्चित करना होगा कि उपलब्ध कराये गये ट्रकों अच्छी हालत में होंगी चाहिए तथा ट्रकों एवं ट्रक चालकों के सभी आवश्यक कागजात बैद्य होने चाहिए ताकि रास्ते में परिवहन के दौरान किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। पूरे कागजात बैद्य न होने पर ट्रक/चालक को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
7. उक्त कार्य हेतु ट्रक उपलब्ध कराने के लिए इस प्रतिष्ठान में अपंजीकृत फर्म दर देते समय अपने दर के साथ अग्रिम जमानत राशि के रूप में ₹0 5000/- जमा करना होगा। जो प्रबन्धक, शासकीय अफ्रीम एवं क्षारोद कारखाना गाजीपुर के पक्ष में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी किया हुआ एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0/डी0डी0/बैंक गारण्टी आदि के साथ ही संलग्न कर दर देना अनिवार्य होगा। जमानत राशि दर के साथ संलग्न नहीं होने पर दर स्वीकार नहीं किया जाएगा। नगद अग्रिम धरोहर राशि स्वीकार नहीं की जाएगी।
8. मौसम को ध्यान में रखते हुए फर्म की पूरी जिम्मेदारी होगी की ट्रक में रखी अफ्रीम कन्टेनरों को कोई नुकसान न हो।
9. परिवहन कार्य के लिए सफल दर दाता को कार्य आदेश की कुल राशि का 10 प्रतिशत प्रतिभूति रकम के रूप में एफ डी आर/सी डी आर/ राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी किया हुआ आदेश मिलने के बाद तुरन्त जमा करना होगा।
11. ट्रक लगभग 200 से 250 अदद कन्टेनर को लोड किये जा सकने की क्षमता वाला होना चाहिये।
12. प्रत्येक ट्रक पर दो सतह से ज्यादा कन्टेनर लोड नहीं किया जायेगा। ट्रक 10 पहिया या 12 पहिया वाला ही होना चाहिये। इससे कम क्षमता वाला ट्रक मान्य नहीं होगा।
13. अफ्रीम से लदा ट्रक सिटी रेलवे स्टेशन (मालगोदाम) गाजीपुर से ट्रक इस प्रतिष्ठान के एस्कार्ट पार्टी के साथ ले आना होगा। परिवहन का कार्य एस्कार्ट पार्टी प्रभारी के निर्देशानुसार पूर्ण करना होगा।
14. ट्रक भाडा प्रति ट्रक एवं प्रति कन्टेनर अलग-अलग देवें।
15. फर्म के द्वारा प्रस्तुत दर के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के देय टोल टैक्स, पार्किंग चार्ज, रोड टैक्स इत्यादि का भुगतान फर्म को ही करना होगा। प्रतिष्ठान द्वारा मात्र निविदा में दर्शित दर का ही भुगतान किया जाएगा।
16. दर में किसी भी प्रकार की कटिंग एवं ओवर राइटिंग मान्य नहीं होगी। इस तरह का कोटेशन दर प्राप्त होने पर उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।
17. अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर जिस ट्रक में कन्टेनरों लोड किया जायेगा उसी ट्रक द्वारा उक्त कन्टेनरों को गन्तव्य तक ले जाना होगा।
18. यात्रा के समय रास्ते में किसी भी प्रकार की दुर्घटना इत्यादि के सभी मामलो का निस्तारण फर्म को ही करना होगा। जिसमें किसी भी प्रकार के मामले में प्रतिष्ठान की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी।

19. किसी भी प्रकार के विवाद में महाप्रबन्धक का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा ।

भवदीय

स्थान:-

दिनांक:-

(हस्ताक्षर)

फर्म की शील

फर्म का पूरा नाम व पता

टिन न०.....

(i) मेरे द्वारा दर की सारणी (अ) के क्र०स० 1 से 6 तक की सभी निविष्टियों को पूर्ण रूप से भरी गई है ।

(ii) मेरे द्वारा निविदा विजक एवं मेरे द्वारा किया गया पत्राचार के प्रत्येक प्रति के हस्ताक्षर में भिन्नता नहीं पाई जाएगी। भिन्नता पाई जाती है या बीजक पर रसीदी टिकट नहीं लगाई जाती है तो समय से भुगतान न होने के लिए मैं जिम्मेदार होऊंगा ।

(iii) मेरे द्वारा कुल कीमत एवं महायोग अंको एवं शब्दों में अंकित किया गया है।

भवदीय

स्थान:-

दिनांक:-

(हस्ताक्षर)

फर्म की शील

फर्म का पूरा नाम व पता

टिन न०.....

मैं श्रीनिविदा स०.....
.....दिनांकमें दर्शायी गई सभी नियमों को भलीभाँति जान लिया है एवं उसका अनुपालन करता हूँ। यदि निविदा में कोई त्रुटि या अनियमितारें होगी या निविदा पूर्ण रूप से भरी नहीं पाई जाती है तो मेरे निविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार महाप्रबन्धक , शासकीय अप्रीम एवं क्षारोद कारखाना, गाजीपुर को होगा और इस बारे में उनका निर्णय अंमि एवं मान्य होगा ।

(i) मेरे द्वारा निविदा फार्म के बिन्दु क, ख एवं ग पर हस्ताक्षर एवं मुहर लगाई गयी है ।

भवदीय

स्थान:-

दिनांक:-

(हस्ताक्षर)

फर्म की शील

फर्म का पूरा नाम व पता

टिन न०.....